न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 213 सन् 2022

राज.सरकार

बनाम

मांगेराम पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार साकिन जनानिया

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– 02.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी मांगेराम पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार साकिन जनानिया तहसील नोहर द्वारा ग्राम जनानिया के किला न0 374/381 के मु0न0 74, कि0न0 22 की 0.2530 है0 गैर मुमकिन अराजीराज की भूमि पर रबी सवत् 2078 में नाजायज तारामीरा फसल काश्त कर अतिक्रमण की पटवारी हल्का रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी के पुत्र धर्मवीर को तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया अप्रार्थी का जवाब संतोषजनक प्रतित नहीं होता पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी द्वारा गै0मु0 अराजीराज की भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने पर भू0अ0नि0 को आदेश जारी हो कुर्क शुद्वा फसल की निलामी बाद स्वीकृति करवाई जाकर निलाम फसल की निलामी राशि नियमानुसार खजाना राज में जमा करावे अतिक्रमी को अतिक्रमण करने के आरोप में भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान लगभग राशि रू. 120/– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक रामगढ़ को अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.202[illegible]खाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar
Date: 2022.04.30 12:50:54 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ